



JALAUN POLICE

दिनांक- 21.01.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विकशन के तहत प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर एवं पुलिस महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र झांसी के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक जालौन द्वारा सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

जालौन पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं अचूक साक्ष्य संकलन तथा डीजीसी क्रिमिनल व उनकी टीम, कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी फलस्वरूप 01 अभियोग में 01 अभियुक्त को मान० न्यायालय द्वारा 05 वर्ष का कारावास व 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

मुकदमें में सजा पाये अभियुक्त का विवरण निम्नवत है –

प्रकरण– अभियुक्त देवेन्द्र कुमार पुत्र महावीर शरण नि० ग्राम व थाना कुठौन्द जनपद जालौन द्वारा वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में थाना कुठौन्द पर मु०अ०सं० 152/2020(वाद संख्या-43/2020) धारा 363/366 भादवि के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ था। थाना कुठौन्द पुलिस द्वारा दिनांक 11.07.2020 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचक द्वारा प्रभावी साक्ष्य संकलन व गवाहों के बयान अंकित करते हुए वैज्ञानिक तरीके से विवेचना पूर्ण अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध दिनांक 29.09.2020 को आरोप पत्र मान० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 21.09.2026 को मा० न्यायालय एडीजे पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त देवेन्द्र कुमार उपरोक्त को 05 वर्ष का कारावास एवं 30,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।